

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.

/ 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पूर्ववर्तमानुसार पत्रावली दिनांक 5/2/2025 को पेश की।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
Not Press	31.1.25	<p>अधिवक्ता वार्दी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब कारमाने एवं पत्रावली 'Not Press' करने पेश करते पर पत्रावली तलब की गयी। अधिवक्ता वार्दी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस भाव्यं का पेश किया गया है कि वार्दी/प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सन्तर्गत धारा 212 R.T.A को साजे-सही-पलना चाहते हैं। इसलिए पत्रावली को तलब कारमात्री/पत्रावली Not Press करने की अनुमति प्रदान करावे।</p>
बबलुकुभावाए	31-1-2025	<p>पत्रावली एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली Not Press करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र सन्तर्गत धारा 212 RTA 'Not Press' के आधार पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमाकर होकर नंबर सी क्रम होकर शामिल दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>